सम्पूर्ण युद्ध
(The Total War)

आधुनिक युद्ध के स्वरूप को देख कर इन्हें **समग्र** या **सम्पूर्ण** युद्ध की संज्ञा प्रदान की जाती है। **मार्गेन्थाऊ** ने स्वीकार किया कि आधुनिक युद्धों को चार कारणों से सम्पूर्ण युद्ध कहा जा सकता है। **प्रथम**, इसलिए कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भावनाओं तथा प्रेरणाओं की दृष्टि से पूर्णतः एकरूप होकर राष्ट्रीय युद्धों में लग जाता है, **दूसरे**, युद्ध में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है, **तीसरे**, युद्ध से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और **चौथे**, युद्ध द्वारा जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाते हैं वे अत्यन्त व्यापक होते हैं। इन सभी दृष्टियों से पहले युद्ध सीमित हुआ करते थे क्योंकि उनको थोड़े ही लोगों का भावनात्मक एवं सैद्धान्तिक सहयोग प्राप्त होता था; युद्ध में सक्रिय रूप से बहुत थोड़े लोग लड़ते थे; युद्ध से प्रभावित होने वाली जनसंख्या अधिक नहीं होती थी और युद्ध के उद्देश्य भी सीमित होते थे; किन्तु आज स्थिति पूर्णतः विपरीत है।

1. वर्तमान युग में जब युद्ध होता है तो देश के समस्त नागरिक युद्ध के साथ स्वयं को एकरूप कर लेते हैं। यह एकरूपता नैतिक एवं अनुभूतिपरक तत्वों के आधार पर स्थापित की जाती है। नैतिक तत्व, न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धान्त की बीसवीं शताब्दी की पुनरावृत्ति है। इसके अनुसार, युद्ध में संलग्न दो राज्यों के बीच भेद करते हुए यह निश्चित किया जाता है कि कौन कार्य कानून और नैतिकता की दृष्टि से न्यायोचित है तथा किसको कानूनी तथा नैतिक दृष्टि से हथियार उठाने का अधिकार नही है? यह सिद्धान्त मध्ययुग में अत्यन्त प्रभावी था, किन्तु आधुनिक राज्य व्यवस्था के जन्म ने इसे बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप एक नया सिद्धान्त विकसित हुआ जो प्रत्येक प्रकार के युद्ध को न्यायोचित ठहराता है। सीमित युद्धों में न्यायोचित और अन्यायपूर्ण युद्ध के बीच का अन्तर अस्पष्ट रूप से बना रहा, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब युद्ध को एक तथ्य मात्र समझा जाता है, जिसके आचरण के नैतिक एवं कानूनी नियमों की रचना राज्य अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। इस प्रकार युद्ध, राष्ट्रीय एवं शासकों के व्यक्तिगत हित का साधन बन गया है, जिसे कूटनीति के साथ जोड़ा जाता है।

इस प्रकार के युद्ध के साथ जनता स्वयं को एकाकार करने में कठिनाई अनुभव करती हैं। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब युद्ध के उद्देश्य को नैतिक सिद्ध कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में, यह कहा जाता है कि शत्रु के विरुद्ध तथा अपने समर्थन में नैतिक उत्साह जाग्रत करने के लिए यह जरूरी है कि अपने पक्ष को न्यायोचित बनाया जाए और दूसरे पक्ष को अन्याय पर आधारित ठहराया जाए। सम्भव है कि जो भाग्यवश या व्यावसायिक सैनिक हैं वे बिना इस सबके युद्ध में अपनी जान दे दें, किन्तु शस्त्र धारण करने वाले सामान्य नागरिक बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्नीसवीं शताब्दी में नेपोलियन के युद्धों में तथा इटली और जर्मनी राष्ट्रीय एकीकरण के युद्धों में राष्ट्रवाद की भावना ने न्याय के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

Scanned by CamScanner

जिस समय युद्धों के पीछे कोई नैतिक या कानूनी सिद्धान्त कार्य नहीं करता था, उस समय कोई भी सेना कभी भी लड़ना बन्द कर सकती थी, क्योंकि लड़ने वाले की प्रेरणा का स्रोत केवल धन था। युद्ध के पूर्व सेना उस पक्ष का समर्थन छोड़कर जिससे उसने वेतन प्राप्त किया है, दूसरे पक्ष में मिल जाती थी। सोलहवीं एवं सत्रहवीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों में तो पूरी सेना कई बार पक्ष बदल लेती थीं।

पहले सैनिक सेवा को अपराधों के लिए दण्ड स्वरूप प्रयोग किया जाता था। जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती थी, उनके सम्मुख एक विकल्प यह होता था कि वे चाहें तो सेना में भर्ती हो जाएं। इस प्रकार ये संगठित सेना में मनोबल जैसी किसी चीज के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे लोग न तो अपने देश के प्रति स्वामिभक्ति रखते थे और न ही अपने राजा के प्रति स्वामिभक्त थे। इन लोगों को केवल कड़े अनुशासन और इनाम के आधार पर साथ रखा जाता था। उस समय युद्धों की प्रकृति, सैनिकों का सामाजिक सम्मान तथा सामाजिक पृष्ठभूमि आदि के संदर्भ में ऐसा होना स्वाभाविक ही था।

सीमित युद्धों के समय जब युद्ध सिंहासन-प्राप्ति के लिए या किसी नगर की प्राप्ति के लिए या राजा के सम्मान के लिए लड़े जाते थे, वहाँ सैनिक सेवा को राजा का वंश परम्परागत विशेषाधिकार समझा जाता था, किन्तु 1793 के फ्रांसीसी क़ानून ने जब 18 और 25 वर्ष के प्रत्येक स्वस्थ पुरुष के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी तो युद्ध के नये स्वरूप को पहली बार व्यवस्थापिका की मान्यता प्राप्त हुई। फ्रांस की भांति प्रशा (Prussia) ने 1807 में कानून पारित किया, जिसके अनुसार, भाड़े के सैनिकों तथा सेना में विदेशियों को लेना बन्द कर दिया गया और 1814 के कानून के अनुसार, अपने देश की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य घोषित कर दिया। इस प्रकार युद्ध का स्वरूप ऐसा हो गया जिसमें सारी जनता भाग लेती है तथा युद्ध का स्वरूप सीमित से सम्पूर्ण हो गया।

2. समग्र युद्ध की दूसरी विशेषता यह है कि यह युद्ध केवल सम्पूर्ण जनता का ही नहीं होता वरन् सम्पूर्ण जनता द्वारा लड़ा जाता है। जब बीसवीं शताब्दी में युद्ध का स्वरूप परिवर्तित हो गया और इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय मुक्ति न होकर राष्ट्रवादी विश्व व्यापकता हो गया तो युद्ध में जनता का योगदान भी अपेक्षाकृत बढ़ गया। अब न केवल स्वस्थ पुरुषों को ही युद्ध में लिया जाता है, वरन् सर्वाधिकारवादी देशों में तो स्त्रियों और बच्चों को भी युद्ध में भाग लेना पड़ता है। गैर सर्वाधिकारवादी देशों में भी स्त्रियों की सेवाएं उनकी स्वेच्छा के आधार पर मांगी जाती हैं। हर देश में राष्ट्र की सभी शक्तियाँ युद्ध में लगा दी जाती हैं। सीमित युद्ध के समय अधिकांश जनता का युद्ध से कुछ सम्बन्ध नहीं होता था। सामान्य जनता पर तो केवल यह प्रभाव पड़ता था कि उससे अधिक कर लिये जाते थे, किन्तु आज का युद्ध प्रत्येक व्यक्ति का युद्ध है और उसे इसमें अपना सक्रिय योगदान देना होता है।

इस विकास के लिए उत्तरदायी दो कारण माने जाते हैं—**प्रथम**, यह कि सेनाओं के आकार में वृद्धि हो गयी है और दूसरे, यह कि युद्ध का यांत्रिकीकरण हो गया है। सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में सेनाओं का आकार बढ़कर अधिक से अधिक दस हजार हो जाता था। नेपोलियन के युद्धों में कुछ सेनाओं की संख्या कुछ लाख व्यक्तियों तक हो गयी थी। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार सेनाएं दस लाख से ऊपर पहुंच गयीं और द्वितीय विश्वयुद्ध में इनकी संख्या एक करोड़ से ऊपर हो गयी। युद्धों में हथियारों, आवश्यक सामग्री, यातायात एवं संचार साधनों आदि का यंत्रीकृत रूप तथा सेना का विशाल आकार आज यह मांग करता है कि कार्य करने वाली समूची जनसंख्या अपना पूरा योगदान दे। ऐसा होने पर ही सैनिक संस्थान को युद्ध के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि युद्धभूमि में एक व्यक्ति को सक्रिय रखने के लिए कम से कम एक दर्जन व्यक्तियों के उत्पादनशील प्रयासों की आवश्यकता रहती है। युद्धभूमि में लड़ रहे सैनिकों के लिए भोजन, वस्त्र तथा हथियार मुहैया करने, यातायात और संचार की व्यवस्था करने आदि कार्यों में जितने लोगों को सक्रिय होना पड़ता है, उसके आधार पर यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि वर्तमान युद्ध सम्पूर्ण जनता के युद्ध बन गये हैं।

Scanned by CamScanner

3. युद्धों को समग्र कहने का एक तीसरा आधार यह है कि युद्ध सम्पूर्ण जनसंख्या के विरुद्ध लड़े जाते हैं। केवल यही नहीं कि सम्पूर्ण जनता को प्रत्येक युद्ध में भाग लेना पड़ता है। वरन् प्रत्येक को युद्ध का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। किसी भी युद्ध में होने वाली क्षति के आंकड़े यद्यपि कम विश्वसनीय होते हैं, तथापि वे इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। पहले युद्धों में जनसंख्या का जो प्रतिशत अपनी जान से हाथ धोता था, वह आज की अपेक्षा बहुत कम था। बीसवीं शताब्दी में युद्ध का स्वरूप विध्वंसक बन गया है, इसलिए सैनिक कार्यवाही से होने वाले हताहतों की संख्या भी अपेक्षाकृत बढ़ गई है। धार्मिक युद्धों की समाप्ति के काल से ही गैर-सैनिक जनता को भी युद्धों के दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की सैनिक कार्यवाही से सामान्य नागरिकों की जितनी जानें गई वे सैनिकों की तुलना में अधिक थीं। द्वितीय विश्वयुद्ध में सोवियत संघ के हताहतों की संख्या उनकी कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत थी। इस प्रकार आधुनिक युद्धों में गैर-सैनिक लोगों के हताहत होने की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है।

4. आज के युद्धों को लक्ष्य की दृष्टि से भी समग्र युद्ध कहा जाता है। आज विश्व की महान शक्तियाँ केवल इसलिए युद्ध नहीं लड़ती कि वे युद्ध क्षेत्र में शत्रु की सेनाओं को हरा दें या अपनी क्षतिपूर्ति कर लें अथवा अपनी सीमाओं का विस्तार कर लें। आज के युद्धों का उद्देश्य शत्रु देश की जनता का पूर्ण विनाश होता है, उसके कल कारखानों एवं युद्ध क्षमता को समाप्त करना होता है, उसकी सरकार का पुनर्गठन होता है तथा उस देश की विचारधारा को बदलना होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में हारने वाले लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन तक को परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा परिवर्तन जापान में मित्र राष्ट्रों द्वारा और मध्य यूरोप में सोवियत संघ द्वारा किया गया।

युद्ध के आधुनिक स्वरूप में सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को भी समाहित किया जाता है। मुक्ति के लिए युद्ध (War of Liberation) असुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं और ये न केवल विजित राष्ट्रों में वरन् तटस्थ एवं विजयी राष्ट्रों में भी छेड़े जा सकते हैं। युद्ध द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न की जाती है, वह सैनिक पराजय के बिना भी क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देती है। आधुनिक समय में युद्ध में पूर्ण पराजय की जोखिम रहती है। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में असीमित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए असीमित सैनिक साधनों का प्रयोग किया गया। इस दृष्टि से यह सुझाया जाता है कि यदि हम युद्ध में अपनाये जाने वाले साधनों के प्रयोग को सीमित करना चाहते हैं, तो हमें लक्ष्यों को भी सीमित करना होगा।

आज के युद्ध विश्व-विजय को अपना उद्देश्य बना कर भी लड़े जाते हैं। अनेक यांत्रिक निकायों के परिणामस्वरूप यातायात, संचार और शस्त्रों के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसने विश्व विजय तथा विजयी राष्ट्र द्वारा उसकी व्यवस्था को भी सम्भव बना दिया है। यह सच है कि इससे पहले भी बड़े-बड़े साम्राज्य थे, किन्तु साम्राज्य अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सके, क्योंकि उस समय ऐसे यांत्रिक साधनों का अभाव था, जिससे व्यापक जनता पर नियंत्रण रखा जा सके।

एक विश्वव्यापी साम्राज्य को स्थायी रूप देने के लिए तीन चीजें मूल रूप से आवश्यक हैं। **प्रथम**, साम्राज्य के सभी लोगों के मस्तिष्क पर केन्द्रीकृत नियंत्रण द्वारा सामाजिक एकीकरण लागू करना, **दूसरे**, साम्राज्य में जहाँ भी कहीं एकता के विरोध की संभावना हो वहाँ सर्वोच्च संगठित सेना रखना और **तीसरे**, नियंत्रण एवं प्रभाव के इन साधनों में स्थायित्व लाना तथा सम्पूर्ण साम्राज्य में विस्तृत करना। इन तीनों सैनिक एवं राजनीतिक पूर्ण आवश्यकताओं में से अतीत काल में एक भी प्राप्त नहीं की जा सकी; किन्तु आज ये तीनों ही सम्भव हैं।

पहले संचार के साधन गैर-यांत्रिक थे और जहाँ कहीं भी यांत्रिक थे, वहाँ वे कठोर रूप से वैयक्तिक और केन्द्रीकृत थे। ऐसी स्थिति में विजेता को असंख्य विरोधियों से लड़ना होता था। विश्व विजय की कामना रखने वाला यदि अपने विरोधियों को पकड़ ले तो उन्हें जेल में डाल सकता था, उसकी हत्या कर सकता

Scanned by CamScanner

था, किन्तु यह नहीं कर सकता था कि उसकी जबान को बन्द कर दे या समाचार, रेडियो एवं चलचित्रों पर अधिकार कर ले।

पहले हिंसा के साधन भी बहुत कुछ गैर-यांत्रिक और व्यक्तिगत थे। ऐसी स्थिति में विश्वव्यापी साम्राज्य बनाने पर ऐसे संगठनों को खड़ा पाता था जो उससे लगभग समान स्तर चाहते थे। दोनों के पास समान हथियार थे। ऐसी स्थिति में कोई भी विजेता साम्राज्य की स्थापना के लिए सभी सम्भावित विरोधियों के विरुद्ध हर जगह एक सर्वोच्च संगठित सेना संगठित नहीं कर सकता था। पहले साम्राज्य का कोई भी अंग कहीं विद्रोह कर दे तो उसे दबाना दुष्कर होता था, क्योंकि केन्द्रीय सत्ता को इसकी सूचना बहुत दिनों में प्राप्त होती थी और सूचना मिलने के बाद भी विद्रोह को दबाने के लिए जो प्रबन्ध किया जाता था, उसमें भी पर्याप्त समय लग जाता था; किन्तु आज की स्थिति में कोई भी विश्व सरकार संचार के माध्यम से शीघ्र ही वस्तु स्थिति से परिचित हो जाएगी और कुछ ही घण्टों में सैकड़ों बमवर्षक भेज देगी तथा पैराशूट मोर्टार, टैंक तथा हथियार से भरे हुए यान भिजवा देगी जिनपर उसका एकाधिकार है और इस प्रकार विद्रोह की स्थिति पर काबू पा लेगी।

आज यातायात के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि विश्व साम्राज्य की स्थापना करने वाले को भौगोलिक स्थिति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिसके कारण नैपोलियन के प्रयास निरर्थक बन गए थे।

आज की स्थिति में सम्भावित विश्व-विजेता के पास तकनीकी साधन हैं जिनके द्वारा जीते हुए प्रदेश में उसकी संगठित सेना की सर्वोच्चता हर समय और हर जगह मानी जाएगी इसमें भूगोल बाधक नहीं है। संचार के साधनों द्वारा विजेता अपने सम्भावित शत्रुओं पर सर्वोच्चता कायम कर सकता है। इस प्रकार यदि एक बार किसी ने विश्व साम्राज्य स्थापित कर लिया तो वह उसको स्थिर रख सकता है और सफल रूप में उसका संचालन कर सकता है। आज यदि एक देश प्रभावपूर्ण तकनीकी साधनों में सर्वोच्चता रखने में सक्षम है तो वह विश्वव्यापी साम्राज्य भी स्थापित कर सकता है। यदि एक राष्ट्र, अणुशस्त्रों पर और संचार तथा यातायात के प्रमुख साधनों पर एकाधिकार रख सके तो वह दुनिया को जीत सकता है और इस जीत को स्थायी बना सकता है, किन्तु यह तभी सम्भव है जबकि वह इस एकाधिकार और नियंत्रण को कायम रखने में समर्थ हो। आधुनिक तकनीक ने यह सम्भव बना दिया है कि दुनिया के प्रत्येक कोने के लोगों के दिमाग और कार्यों पर प्रत्येक दशा में नियंत्रण रखा जा सकता है।

विप्लव और प्रतिविप्लव की अवधारणा

बल प्रयोग द्वारा सत्ता हथियाने के तीन तरीके हैं—क्रान्ति, षडयंत्र और विप्लव। क्रान्ति का अर्थ प्रायः एक ऐसी घटना से लिया जाता है जो अचानक अल्पकालीन, स्वतः प्रवर्तित और अनियोजित होती है, जिसमें पहले जन समुदाय आगे बढ़ता है तथा उसको नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता बाद में सम्मिलित होते हैं।

षडयंत्र, एक प्रकार की गुप्त संक्रिया है, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च नेतृत्व को उखाड़ फेंकना होता है। यह एक प्रकार की द्युत क्रीड़ा है, जिसमें जन समुदाय की हिस्सेदारी नहीं होती है।

विप्लव, एक दीर्घकालीन संघर्ष है, जो कई चरणों में एवं व्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है। इसमें विशेष रूप से मध्यवर्ती उद्देश्यों को लिया जाता है, इस संघर्ष के द्वारा एक सत्ता को समाप्त कर दूसरी सत्ता को स्थापित किया जाता है। यह कोई घटना नहीं है। इसमें नेतृत्व सर्वप्रथम सक्रिय होता है और जनसमुदाय बाद में।

फ्रेंचवार कालेज से सम्बन्धित कर्नल ट्रिनक्वायर और लेचराय ने इसको निम्न शब्दों में परिभाषित किया है, "विप्लव सरकार के विरुद्ध एक आन्दोलन है, जिसमें विप्लवकारियों को जनसाधारण का सक्रिय या मौन

Scanned by CamScanner